रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 1984/श्रावण 18, 1906
No. 107] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 1984/SRAVANA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 43-आई टी सी (पी एन)/84

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1984

विषय :—निर्यात आभार के लिए रियायती सीमा-शुल्क के साथ कुछ वस्तु मशीनरी का आयात ।

मिसिल सं. आई.पी.सी./4/मिस./121/83-84.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 53-आई.टी.सी. (पी.एन.)/83, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 187/84-कस्टम्स, दिनांक 23 जून, 1984 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना सं. 53-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 की कंडिका 2(4) की उप-कंडिका में दर्शाते हुए, अंकों और शब्दों "8 वर्षों" को "5 वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. उक्त सार्वजनिक सूचना सं. 53-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 की शुल्क कटौती योजना के अंतर्गत अनुबंध "क"—कंडिका-5 में निर्यात आभार को पूरा किए जाने वाले बन्ध-पत्र में आए हुए, "आठ वर्षों" शब्दों को "पांच वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 43—ITC(PN)/84

New Delhi, the 9th August, 1984

Subject:—Import of certain Textile machinery with concessional Customs duty for export obligation.

File No. IPC/4/Misc./121/83-84.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 53-ITC(PN)/83 dated the 17th December, 1983 and the Ministry of Finance, Deptt. of Revenue Notification No. 187/84 CUSTOMS dated the 23rd June, 1984.

2. In the said Public Notice No. 53-ITC(PN)/83, dated the 17th December, 1983, the figures and words '8 years' appearing in sub-para to para 2(vi), shall be substituted by the figures and words '5 years'.

3. In Annexure 'A'—Para 5 of Bond Form of Export Obligation to be executed, under the Duty Reduction Scheme—to the said Public Notice No. 53-ITC(PN)/83 dated the 17th December, 1983, the words 'eight years' shall be substituted by the words 'five years'.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984